पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2009 ई० (अग्रहायण 21, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–50

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	511–513	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	337–348	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	19–22	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

(शक्ति)

11 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 1408/XX(2)/109/सुरक्षा/परीक्षा/2004–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संचालित उत्तराखण्ड सचिवालय/लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2007 की परीक्षा के लिये समस्त परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य/परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षक तथा केन्द्र प्रभारी को दिनांक 22 नवम्बर, 2009 के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

24 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 2143/तीस–1–23(2)/2009/1962/09–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा–2004 के आधार पर, चयनित श्री राहुल कुमार गोयल को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार–ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलैक्टर, चमोली के पद पर, वेतनमान रु0 15,600–39,100, ग्रेड वेतन रु0 5400 (पूर्व वेतनमान रु0 8000–13500) में इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति/जनपदीय प्रशिक्षण हेतु तैनाती प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि श्री राहुल कुमार गोयल का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) हेतु उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो उनकी सेवाएं नियमानुसार समाप्त कर दी जाएंगी। श्री राहुल कुमार गोयल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

2–श्री राहुल कुमार गोयल की नियुक्ति, मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–215/एस0बी0/2009 राहुल कुमार गोयल बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेशों के अधीन होगी।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/संशोधन

20 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 861/2009/08(E) (100)/XXVII(8)/09–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2004 के आधार पर वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक

कमिश्नर, वेतनमान रुपये 15600–39100 (ग्रेड वेतन 5400) में नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित विज्ञप्ति संख्या 386/2009/08(E)(100)/XXVII(8)/09, दिनांक 13–07–2009 में उल्लिखित नाम "श्री नीरज गुप्ता" के स्थान पर "श्री नीरज कुमार" पढ़ा जायेगा।

इस सीमा तक संदर्भगत विज्ञप्ति संख्या 386/2009/08(E)(100)/XXVII(8)/09, दिनांक 13–07–2009 को संशोधित समझा जाय।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/597–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2009 ई0 (अग्रहायण 21, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संभाग, देहरादून

आदेश

30 जुलाई, 2009 ई0

पत्रांक 1027/प्रशासन/लाईसेंस/2009–10–श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी–ग्राम–तल्ली लांघा, बड़कोट, देहरादून द्वारा विक्रम वाहन संख्या यू0पी0–07के–9196 में क्षमता से 05 सवारियां अधिक ले जाने तथा चालक कक्ष में 04 सवारियां ले जाने के कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा किये गये चालान के फलस्वरूप उनके लाईसेंस संख्या–9492/डी/03 जो कि इस कार्यालय द्वारा मो0 साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 28–01–2010 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ए0 के0 सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस को दिनांक 30–07–2009 से दिनांक 29–09–2009 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

ए0 के0 सिंह,
संभागीय परिवहन अधिकारी,
देहरादून।

आदेश

18/19 अगस्त, 2009 ई0

पत्रांक 136P/प्रशासन/लाईसेंस/2009–10–सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा वाहन संख्या यु0ए0–07 एफ–0498 नगर बस का दिनांक 29–11–2008 को वाहन में निर्धारित क्षमता 22 के सापेक्ष 40 सवारियां ले जाने एवं चालक केबिन में पार्टीशन न लगे होने आदि के अभियोग में चालान किया गया है। वाहन में अत्यधिक ओवरलोडिंग होने एवं चालक कक्ष में पार्टीशन न होने के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जैनी, निवासी–14 गढ़ी कैण्ट, देहरादून के लाईसेंस संख्या–9127/डीडी/92 जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 16–01–2011 तक वैध है, के विरुद्ध

कार्यवाही की संस्तुति की गयी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस सं0–1047, दिनांक 13–07–09 जारी किया गया। लाईसेंस धारक द्वारा दिनांक 13–08–2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस को दिनांक 13–08–2009 से दिनांक 12–02–2010 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

आदेश

18 / 21 अगस्त, 2009 ई0

संख्या 1415 / प्रशासन / लाईसेंस / 2009–10–श्री अमरनाथ पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी–बड़ोवाला, देहरादून द्वारा वाहन संख्या यू0ए0–07के–4557 विक्रम वाहन में निर्धारित क्षमता 07 के सापेक्ष 11 सवारियां ले जाने के अभियोग में यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 16–02–2009 को चालान किया गया। चालक द्वारा वाहन में अत्यधिक सवारियां ले जाने के कारण पुलिस अधीक्षक (यातायात), देहरादून द्वारा चालक के लाईसेंस सं0–35155 / डी / 2000 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 23–03–2010 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस सं0–1047, दिनांक 30–07–09 जारी किया गया। लाईसेंस धारक द्वारा दिनांक 18–08–2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालक के लाईसेंस सं0–35155 / डी / 2000 को दिनांक 18–08–2009 से दिनांक 17–11–2009 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

आदेश

19 / 21 अगस्त, 2009 ई0

संख्या 1416 / प्रशासन / लाईसेंस / 2009–10–सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा वाहन संख्या यू0ए0–07एम–0796 मैक्सी कैब का दिनांक 06–06–2007 को वाहन चालक द्वारा मोड़ पर खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने आदि अभियोग में चालान किया गया है। चालक द्वारा लापरवाही से वाहन संचालित किये जाने के कारण उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी–93 बी, नेशविला रोड, देहरादून के लाईसेंस संख्या–7428 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 14–06–2009 तक वैध था, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 28–11–2008 को कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजा गया। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस संख्या–2492, दिनांक 19–01–09 जारी किया गया। लाईसेंसधारक को दिनांक 19–08–2009 को सुना गया।

अतः सुनवाई के उपरान्त लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत चालक के उक्त लाईसेंस को दो माह के लिए निर्हित करता हूं। निर्हता अवधि दिनांक 14–06–2009 से प्रारंभ मानी जायेगी। भविष्य के लिए चालक को कठोर चेतावनी निर्गत की जाती है।

डी0 सी0 पठोई,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देहरादून।

आदेश

31 अगस्त, 2009 ई0

पत्रांक 2053/प्रशासन/लाईसेंस/2009–10–परिवहन कर अधिकारी–2, परिवहन चैकपोस्ट, चिड़ियापुर, हरिद्वार द्वारा दिनांक 17–05–2009 को वाहन संख्या यू0ए0–07एस–3440 बस का चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने आदि अभियोगों में चालान किया गया है तथा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर, निवासी–डी–183, टौंस कॉलोनी, डाकपत्थर, देहरादून के लाईसेंस संख्या–एस–18842/डीडी/85 जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 27–03–2010 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। उक्त लाईसेंस सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में नोटिस संख्या–1070, दिनांक 31–07–2009 जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपराध स्वीकार करते हुए अपना लिखित उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें वह कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये। लाईसेंसधारक की शराब पीकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति से भविष्य में किसी वाहन दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वाहन चालक का उक्त कृत्य जनसुरक्षा के विरुद्ध है।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं0–एस–18842/डी/85 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

31 अगस्त, 2009 ई0

पत्रांक 2054/प्रशासन/लाईसेंस/2009–10–परिवहन कर अधिकारी–2, देहरादून द्वारा दिनांक 30–01–2009 को वाहन संख्या यू0के0–07 टीए–0784 ऑटोरिक्शा का चालक द्वारा संकेत देने पर वाहन न रोकने, वाहन भगाने एवं वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने आदि अभियोगों में चालान किया गया है तथा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री आर0 के0 गुप्ता पुत्र श्री डी0 के0 गुप्ता, निवासी–कौलागढ़, देहरादून के लाईसेंस संख्या–14339/डी/93 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 09–09–2011 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। कार्यालय द्वारा लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में नोटिस संख्या–1070, दिनांक 31–07–2009 जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में दिनांक 31–08–2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वह कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये। लाईसेंसधारक द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर ओवरलोडेड वाहन को भगाया गया। लाईसेंसधारक द्वारा ऐसा कर वाहन में बैठी सवारियों की जान को जोखिम में डाला गया है। चालक का यह कृत्य जनसुरक्षा के विरुद्ध है।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं0–14339/डी/93 को दिनांक 31–08–2009 से दिनांक 30–12–2009 तक की अवधि के लिए निर्हित करता हूं।

आदेश

28 अक्टूबर/23 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 2516/प्रशासन/लाईसेंस/2009–10–सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30–08–2009 को वाहन संख्या यू0ए0–07डी–1546 विक्रम का निर्धारित क्षमता 07 के सापेक्ष 13 सवारियां ले जाने, चालक कक्ष में 04 व्यक्ति बैठे होने एवं वाहन में सवारी लटकाकर ले जाने के अभियोग में चालान किया गया है तथा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक अमरीश कुमार पुत्र श्री मुरखी सिंह–पाल मोहल्ला, जौलीग्रान्ट, देहरादून के लाईसेंस संख्या–8388/डी/2003 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 21–12–2009 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। कार्यालय द्वारा लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध

में नोटिस-2506, दिनांक 19-01-2009 जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में दिनांक 28-10-2009 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें वह कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0 सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अंतर्गत उपरोक्त चालक के लाईसेंस सं0-8388/डी/2003 को दिनांक 28-10-2009 से दिनांक 27-04-2010 तक की अवधि के लिए निर्हित करता हूं।

डी0 सी0 पठोई,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देहरादून।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी संभाग, हल्द्वानी

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3900/लाईसेन्स/धारा-21/2009--श्री कुंवर सिंह मेहरा, पुत्र श्री माधो सिंह, नि0 शास्त्रीनगर बिन्दुखत्ता, नैनीताल द्वारा दिनांक 25-09-2009 को वाहन संख्या यू0ए0 4 सी-9120 (टैम्पो) में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया जिस कारण परिवहन कर अधिकारी-1, हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध में लाइसेंसधारक श्री कुंवर सिंह मेहरा को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाईसेंस/धारा-21/09, दिनांक 28-10-2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाईसेंसधारक को इस संबंध मे कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 38643/कु0/97 जो कि दिनांक 14-04-2011 तक वैध है, को दिनांक 12-11-2009 को चार माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3901/लाईसेन्स/धारा-21/2009--श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री गुसाईं सिंह, नि0 ग्राम देवलचौड़ खास, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा दिनांक 22-10-2009 को वाहन संख्या यू0ए04डी-8036 में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया जिस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध में लाईसेंस धारक श्री प्रताप सिंह को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाईसेंस/धारा-21/09, दिनांक 28-10-2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाइसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या यू0ए04टी-2876/07 जो कि दिनांक 26-10-2010 तक वैध है, को दिनांक 12-11-2009 को चार माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3902/लाईसेन्स/धारा–21/2009–श्री नारायण सिह, पुत्र श्री राम सिंह, निवासी डोल शहर फाटक, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 12–10–2009 को वाहन संख्या यूए04ई–5676 में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए तथा चालक कक्ष में पार्टीशन भी नहीं पाया गया जिस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध में लाईसेंसधारक श्री नारायण सिंह को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाइसेंस/धारा–21/09, दिनांक 28–10–2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाईसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 50540/कु0/98 जो कि दिनांक 04–05–2011 तक वैध है, को दिनांक 12–11–2009 को दो माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3903/लाईसेन्स/धारा–21/2009–श्री महेन्द्र सिंह मेहता, पुत्र श्री नारायण सिह मेहता, निवासी महलोब, पो0 हवलबाग, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 14–10–2009 को वाहन संख्या यूके01टीए–0036 मैक्सी कैब में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया। पुनः दिनांक 18–10–2009 को भी उक्त चालक द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां परिवहन की जा रही थीं, जिस कारण उप जिलाधिकारी, सदर, अल्मोड़ा द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध मे लाईसेंसधारक श्री महेन्द्र सिंह, को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाईसेंस/धारा–21/09, दिनांक 28–10–2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाईसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 56080/कु0/99 जो कि दिनांक 21–10–2011 तक वैध है, को दिनांक 12–11–2009 को दो माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3904/लाईसेन्स/धारा–21/2009–श्री राजेन्द्र लाल, पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गेठिया, नैनीताल द्वारा दिनांक 26–10–2009 को वाहन संख्या यू0ए01–5431 भार वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया, जिस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक श्री राजेन्द्र लाल की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध में लाईसेंस धारक श्री राजेन्द्र सिंह को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाइसेंस/धारा–21/09, दिनांक 28–10–2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाईसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 24984/कु0/94 जो कि दिनांक 03–07–2012 तक वैध है, को दिनांक 12–11–2009 को चार माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

12 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3905/लाईसेन्स/धारा–21/2009–श्री सलीम अहमद, पुत्र श्री हबीब अहमद, निवासी महेशपुर बिलासपुर, रामपुर, यूपी द्वारा दिनांक 22–10–2009 को वाहन संख्या यूए04डी–8417 में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया जिस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। इस प्रकरण के संबंध में लाईसेंसधारक श्री सलीम अहमद को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाईसेंस/धारा–21/09, दिनांक 28–10–2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह समझा गया कि लाईसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 6036/रामपुर/07 जो कि दिनांक 04–09–2027 तक वैध है, को दिनांक 12–11–2009 को चार माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

25 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3937/लाईसेन्स/धारा–21/2009–श्री त्रिभुवन पुरी, पुत्र श्री मोती पुरी, नि0 वर्तमान–चापड़ वेतालघाट, जिला नैनीताल द्वारा दिनांक 25–11–2009 को वाहन संख्या यूके04टीए–0564 (मैक्सी) में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाते हुए पाया गया जिस कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हल्द्वानी द्वारा उक्त वाहन का चालान कर उपरोक्त चालक की चालान अनुज्ञप्ति में निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी इस प्रकरण के संबध में लाईसेंस धारक श्री त्रिभुवन पुरी को इस कार्यालय के पत्र सं0 मैमो/लाईसेंस/धारा–21/09, दिनांक 07–11–2009 को नोटिस जारी किया गया परन्तु लाईसेंसधारक ने निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर इस कार्यालय में नहीं दिया।

अतः लाईसेंसधारक द्वारा निर्धारित तिथि तक नोटिस का कोई उत्तर न दिये जाने के कारण यह प्रतीत हुआ कि लाईसेंसधारक को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, के फलस्वरूप लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, आर0सी0 कालरा, संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या टी–1587/कु0/99 जो कि दिनांक 26–10–2011 तक वैध है, को दिनांक 25–11–2009 को दो माह के लिए निलम्बित करता हूं।

आर0 सी0 कालरा,
संभागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।

कार्यालय, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर

आदेश

29 अगस्त, 2009 ई0

पत्रांक 593/लाईसेन्स/निलम्बन/2009–श्री मोहम्मद प्रवेश पुत्र श्री समीररूद्दीन, निवासी ग्राम नकहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 24–01–2009 को ट्रक संख्या यू0पी0 65 एच–6678 को तेजी व लापरवाही से चलाकर श्री बलराम सिंह पुत्र श्री राम, निवासी सबौरा पटिया, थाना खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर को कुचल कर मृत्यु कारित कर दिया। जिसके संबंध में थाना नानकमत्ता में मुकदमा संख्या 9/2009, धारा 279/304 ए/427 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। चालक के लाईसेंस संख्या 48465/यू0एस0एन0/एन0टी0/2007 इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल, लाईट तथा भारी मोटर यान हेतु जारी किया गया था, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष, नानकमत्ता ने इस कार्यालय को संस्तुति की थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 93/ला0/धारा 21/2009, दिनांक 06–02–2009 पंजीकृत ए0डी0 डाक द्वारा जारी किया गया। उक्त नोटिस के संबंध में लाईसेंस धारक द्वारा कोई भी संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक अपना अपराध स्वीकार करता है।

अतः जनहित में थानाध्यक्ष की संस्तुति के आधार पर, मैं, पी0सी0 जोशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या 48465/यू0एस0एन0/एन0टी0/2007 जो कि दिनांक 01–12–2011 तक के लिए वैध है को दिनांक 26–08–2009 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

29 अगस्त, 2009 ई0

पत्रांक 594/लाईसेंस/निलम्बन/2009–श्री नसीम अहमद, पुत्र श्री निसार अहमद, निवासी संजय नगर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 05–12–2007 को वाहन संख्या यू0ए0 06जी0–3512 को टैक्सी को ओवर लोडिंग के अभियोग में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, हल्द्वानी द्वारा चालान कर इस कार्यालय में लाईसेंस संख्या 661/टी0/यू0एस0एन0/2002 जो दिनांक 08–01–2002 को मोटर साईकिल एवं लाईट मोटर यान हेतु जारी किया गया था, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को नोटिस पत्रांक मैमो, लाईसेंस/धारा 21/2007, दिनांक 19–12–2007 के द्वारा जारी किया गया तथा पुनः दिनांक 15–11–2008 को अनुस्मारक नोटिस डाक द्वारा जारी किया गया। जो लाईसेंसधारक के द्वारा दिये गये पते पर अधूरा होने के कारण कार्यालय में वापिस आ गया।

अतः संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, पी0सी0 जोशी, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 661/टी0/यू0एस0एन0/2002 जो दिनांक 06–03–2008 तक वैध है, को दिनांक 26–08–2009 को छः माह (180 दिन) के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

09 अक्टूबर, 2009 ई0

पत्रांक 750/लाईसेंस/निलम्बन/2009–श्री वजीर अहमद, पुत्र श्री तैय्यब अली, निवासी ग्राम खेतलसण्डा, वार्ड नं0 3, पीलीभीत रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 10–09–2009 को वाहन संख्या यू0पी01एल0टी0 0980 को संकेत देने पर वाहन नहीं रोका तथा तीव्र गति से भगाया और प्रवर्तन वाहन से पीछा कर रोका गया। अतः असुरक्षित संचालन करने पर अॅथार्टी, हरिद्वार प्रवर्तन द्वारा चालान कर लाईसेंस संख्या 34677/एन0टी0/यू0एस0एन0/2005 इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22–12–2005 को मोटर साईकिल, कार तथा दिनांक 01–02–2007 को भारी मोटर यान हेतु जारी किया गया, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को कार्यवाही हेतु संस्तुति की गई। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 721/ला0/धारा 21/2009, दिनांक 30–09–2009 डाक द्वारा जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुपालन में लाईसेंसधारक द्वारा दिनांक 09–10–2009 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दिया गया, जो कि संतोषजनक नहीं था।

अतः संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, पी0सी0 जोशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाईसेंस संख्या 34677/एन0टी0/यू0एस0एन0/2005 जो दिनांक 31–01–2010 तक वैध है, को दिनांक 09–10–2009 को चार माह (124 दिन) के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

26 अक्टूबर, 2009 ई0

पत्रांक 806/लाईसेंस/निलम्बन/2009–श्री आगाज अहमद, पुत्र श्री इम्तियाज अहमद, निवासी कंठगढ़ी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 16–09–2009 को वाहन संख्या यू0ए006–9686 को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण थाना मानकमत्ता में मुकदमा संख्या 92/2009, धारा 279/304 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। चालक के लाईसेंस संख्या UK 0620040005487 जो मोटर साईकिल, लाईट तथा भारी मोटर यान हेतु जारी किया गया था, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष, नानकमत्ता ने इस कार्यालय को संस्तुति की थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 771/ला0/धारा21/2009, दिनांक 16–10–2009 पंजीकृत डाक द्वारा जारी किया

गया। उक्त नोटिस के अनुपालन मे लाईसेसघारक द्वारा दिनाक 26-10 2009 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दिया गया, जो कि पूर्णतः संतोषजनक नहीं था।

अत सतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण लाईसेसिंग अधिकारी के रूप मे, मै, पी0सी0 जोशी, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए लाईसेस सख्या UK 0620040005487 जो दिनाक 12 08-2012 तक वैध है, भारी वाहन लाईसेंस को दिनाक 26-10-2009 को तीन माह (90 दिन) के लिए निलम्बित करता हू तथा चालक का लाईसेस प्राईवेट कार, मोटर साईकिल पूर्ववत् वैध रहेंगे।

पी0 सी0 जोशी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशा0) ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढवाल

आदेश

02 सितम्बर, 2009 ई0

पत्र सख्या 398/सा0प्रशा0/लाईसेन्स निरस्तीकरण/09 - दिनाक 26 09 2011 तक वैध श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री पचम सिंह राणा, निवासी ग्राम व पो0 रणसूआ, जिला पौडी गढवाल के लाईसेन्स सख्या जे-568/कोटद्वार/05 को निरस्त करने की सस्तुति उपजिलाधिकारी, बारहस्यूँ, पौडी गढवाल ने पत्र सख्या 954/सा0प्रशा0/लाई/09, दिनाक 11-06-2009 द्वारा इस आधार पर की है कि दिनाक 02 06-2009 जीप टैक्सी सख्या यू0ए12 1313 पर कार्यरत चालक श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री पचम सिंह राणा, निवासी ग्राम व पो0 रणसूआ, जिला पौडी गढवाल द्वारा 06 के सापेक्ष 26 सवारिया ले जाये जाने के अपराध मे चालान किया गया है।

इस कार्यालय के पत्र सख्या 228/लाईसेन्स निरस्तीकरण/2009, दिनाक 09-07 2009 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लाईसेन्सधारक को निर्देशित किया गया था परन्तु लाईसेन्सधारक श्री जितेन्द्र सिंह, पुत्र श्री पचम सिंह राणा, निवासी ग्राम व पो0 रणसूआ, जिला पौडी गढवाल न तो स्वय उपस्थित हुए, न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

अत उपजिलाधिकारी, बारहस्यू, पौडी गढवाल द्वारा लाईसेन्स सख्या जे-568/कोटद्वार/05 को निरस्त करने की उपरोक्त सस्तुति के आधार पर, ओवर लोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओ पर अकुश लगाने एव जन सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेसिंग अधिकारी के रूप मे, मै, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए दिनाक 26 09 2011 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स सख्या जे 568/कोटद्वार/05 को निरस्त करता हू।

आदेश

05 अक्टूबर, 2009 ई0

पत्र सख्या 489/सा0प्रशा0/लाईसेन्स निरस्तीकरण/09-दिनाक 25 06-2010 तक वैध श्री हरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भोपाल सिंह, निवासी ग्राम सरतौली, पो0 नन्दप्रयाग, जिला चमोली गढवाल के लाईसेन्स सख्या 5599/कोटद्वार/1986 को निरस्त करने की सस्तुति पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढवाल ने अपने पत्र सख्या आर-18/2009-7, दिनाक 10 08 2009 द्वारा दिनाक 02 08-2009 को नशे मे बस सख्या यू0ए011 0927 को खतरनाक तरीके से चलाये जाने तथा मेडिकल परीक्षण के उपरान्त मु0अ0स0 2937/09 धारा 184, 185, 202 मोटर वाहन अधिनियम के अतर्गत थाना देवप्रयाग, टिहरी गढवाल मे पजीकृत किये जाने के आधार पर की है। श्री हरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भोपाल सिंह, निवासी ग्राम सरतौली, पो0 नन्दप्रयाग, जिला चमोली गढवाल को इस कार्यालय के पत्र सख्या 304/सा0प्रशा0/लाईसेन्स निरस्तीकरण/09, दिनाक 17 08 2009 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था परन्तु लाईसेन्सधारक श्री हरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री भोपाल सिंह आज तक इस कार्यालय मे न तो स्वय उपस्थित हुए हैं और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

अत पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढवाल द्वारा लाईसेन्स सख्या 5599/कोटद्वार/1986 को निरस्त करने की उपरोक्त सस्तुति के आधार पर तथा नशे मे गाडी चलाये जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओ पर अकुश लगाने एव जन सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मै, करम सिंह प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए दिनाक 25-06 2010 तक वैध उपरोक्त लाईसेन्स सख्या 5599/कोटद्वार/1986 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हू।

आदेश

25 जुलाई, 2009 ई0

पत्र सख्या 257/सा0प्रशा0/लाईसेन्स-निरस्तीकरण/09-श्री बेलम सिंह, पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी ग्राम दियोली, पो0 पाबौ, जिला-पौडी गढवाल द्वारा चलाई जा रही मैक्सी कैब सख्या यू0पी06 2462 का चालान उपजिलाधिकारी बीरोंखाल, पौडी गढवाल द्वारा दिनाक 04-05 2009 को (वाहन कुल 10 सीट मे पास है, क्षमता से 10 सवारी अधिक है एव सभी छत पर बैठी है) अपराध मे किया गया है तथा दिनाक 17 06-2010 तक एलएमवी (टी) हिल के लिये वैध लाईसेन्स सख्या 5522/कोटद्वार/96 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की है। पत्र सख्या 92/लाईसेन्स निलम्बन निरस्तीकरण/09, दिनाक 19 05-2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु चालक को भेजा गया। चालक ने दिनाक 17 07 2009 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जो सतोषजनक नही पाया गया।

अत ओवर लोडिग के कारण होने वाली दुर्घटनाओ पर अकुश लगाने तथा जन सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेंसिग अधिकारी के रूप मे, मै, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स सख्या 5522/कोटद्वार/96 को दिनाक 20 07 2009 से 19 11 2009 (चार माह) तक निलम्बित करता हू।

आदेश

25 जुलाई, 2009 ई0

पत्र सख्या 258/सा0प्रशा0/लाईसेन्स निरस्तीकरण/09-श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री सचिदानन्द, निवासी ग्राम रयोली, पो0 सिमारखाल, जिला पौडी गढवाल द्वारा चलाई जा रही ट्रक सख्या यू0ए12-6419 का चालान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनाक 03-06 2009 को अन्य अपराधो के अतिरिक्त कुल 03 के सापेक्ष कुल 05 व्यक्ति ले जाने के अपराध मे किया गया है तथा दिनाक 25-09-2011 तक एचटीवी (टी) हिल के लिये वैध लाईसेन्स सख्या वी-67/कोटद्वार/98 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की है। पत्र सख्या मैमो/लाईसेन्स निलम्बन निरस्तीकरण/09, दिनाक 11 06-2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु चालक को भेजा गया। चालक ने दिनाक 17 07 2009 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जो सतोषजनक नही पाया गया।

अत ओवर लोडिग के कारण होने वाली दुर्घटनाओ पर अकुश लगाने तथा जन सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेंसिग अधिकारी के रूप मे, मै, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स सख्या वी-67/कोटद्वार/98 को दिनाक 20 07 2009 से 19 08 2009 (एक माह) तक निलम्बित करता हू।

आदेश

03 अगस्त, 2009 ई0

पत्र सख्या मैमो/सा0प्रशा0/लाईसेन्स निरस्तीकरण/09-श्री कमलेश सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी ग्राम-माव कोठार, पो0-चैलूसैण, जिला पौडी गढवाल द्वारा चलाई जा रही जीप टैक्सी सख्या यू0पी07एल-9563 का चालान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा दिनाक 06-06-2009 को अन्य अपराधो के अतिरिक्त कुल 06 के सापेक्ष कुल 13 व्यक्ति ले जाने के अपराध मे किया गया है तथा दिनाक 16 10 2010 तक एलएमवी (टी) हिल के लिये वैध लाईसेन्स सख्या 71/कोटद्वार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की है। पत्र सख्या 225/लाईसेन्स-निलम्बन-निरस्तीकरण/09, दिनाक 09 07 2009 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु चालक को भेजा गया। चालक ने दिनाक 03 08-2009 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जो सतोषजनक नही पाया गया।

अत ओवर लोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओ पर अकुश लगाने तथा जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मैं, करम सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स सख्या 71/कोटद्वार को दिनाक 03-08-2009 से 02-09-2009 (एक माह) तक निलम्बित करता हू।

करम सिंह,
सहा0 सभागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, गढवाल संभाग, पौडी

आदेश

15 जुलाई, 2009 ई0

पत्राक 1243/लाईसेन्स/निलम्बन/2009 श्री प्रदीप सिंह भण्डारी, पुत्र श्री सुजान सिंह भण्डारी, निवासी ग्राम पौडिक, पट्टी-बालीकन्डारस्यूँ, जिला पौडी गढवाल जिसका चालक लाईसेस सख्या-14447/पी0/2007 जो कि दिनाक 20-11-2010 तक वैध है, का चालान वाहन सख्या-यू0ए0 05-2205 मे क्षमता से अधिक सवारी परिवहन करने के अपराध मे दिनाक 30-06-09 को प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्राक सख्या 1200/प्रशा0/लाई0/09, दिनाक 14 07 2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनाक 15 07 09 मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि सतोषजनक नही था।

अत सुनवाई के उपरान्त लाईसेस अधिकारी के रूप मे, मै, एम0एस0 रावत, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी इस प्रकार के कृत्यो पर अकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेस सख्या-14447/पी0/2007 को दिनाक 15 07 09, से दिनाक 14-09-09 की अवधि के लिए निलम्बित करता हूं।

आदेश

17 जुलाई, 2009 ई0

पत्राक 1244/लाईसेन्स/निलम्बन/2009-श्री किशन सिंह, पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी ग्राम कन्डारा, पट्टी-पैडुलस्यूँ, जिला पौडी गढवाल जिसका चालक लाईसेस सख्या 15133/पी0/2008 जो कि दिनाक 02-07-2011 तक वैध है, का चालान वाहन सख्या यू0पी0 06-4712 मे क्षमता से अधिक सवारी परिवहन करने के अपराध मे दिनाक 18-03-09 को प्रवर्तन अधिकारी, पौडी द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्राक सख्या 500/प्रशा0/लाइ0/09 दिनाक 02-04-2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनाक 17 07 09 मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि सतोषजनक नहीं था।

अत सुनवाई के उपरान्त लाईसेस अधिकारी के रूप मे, मै, एम0एस0 रावत, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी इस प्रकार के कृत्यो पर अकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेस सख्या-15133/पी0/2008 को दिनाक 17-07-09 से दिनाक 16 09 09 की अवधि के लिए निलम्बित करता हू।

आदेश

10 अगस्त, 2009 ई0

पत्राक 1386/लाईसेन्स/निलम्बन/2009-श्री भगत सिंह, पुत्र श्री बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम गगगाव, पट्टी चौपडकोट, थैलीसैण, जिला पौडी गढवाल जिसका चालक लाईसेस सख्या 14879/पी0/2008 जो कि दिनाक 01 04 2011 तक वैध है, का चालान वाहन सख्या-यू0के012टी0ए0-0165 मे क्षमता से अधिक सवारी परिवहन करने के अपराध मे दिनाक 25-05-09 को प्रवर्तन अधिकारी कोटद्वार द्वारा किया गया था। चालक को कार्यालय के पत्राक सख्या 955/प्रशा0/लाई0/09, दिनाक 11-06-2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया। चालक ने दिनाक 06-08-09 मे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि सतोषजनक नही था।

अत सुनवाई के उपरान्त लाईसेस अधिकारी के रूप मे, मै, एम0एस0 रावत, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी इस प्रकार के कृत्यो पर अकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेस सख्या 14879/पी0/2008 को दिनाक 06-08-09 से दिनाक 05-10-09 की अवधि के लिए निलम्बित करता हूं।

एम0 एस0 रावत,
सहा0 सभागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़

कार्यालय आदेश

20 जून, 2009 ई0

पत्रांक [illegible]/प्रवर्तन/स0प्र0/08 श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, पुत्र श्री भोला दत्त जोशी, ग्राम एव पो0 बडावे को वाहन सख्या यू0के0 05 टी0ए0 0156 चलाते समय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ द्वारा दिनाक 03 06-09 को चैक किया गया तो वाहन मे 10 के स्थान पर 13 सवारी पाई गई व चालक द्वारा ड्रा0 लाईसेन्स भी प्रस्तुत नही किया गया। चालक द्वारा ओवर लोडिंग किये जाने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ द्वारा चालक के लाईसेन्स सख्या-पी0 4728/के0/05 के विरुद्ध कार्यवाही, सस्तुति की गई है। सस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त के सबध मे कारण स्पष्ट करने हेतु दिनाक 16 6-09 को नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर देते हुए चालक ने अपनी गलती स्वीकार की। चालक द्वारा प्रथम बार अपराध करने के कारण व भविष्य मे कभी भी ओवर लोडिंग कर सचालन न करने के साथ ही एक माह हेतु उपरोक्त ड्रा0 लाइसेन्स को निलम्बित किया जाता है।

अत मैं अनुज्ञप्ति अधिकारी मोटर वाहन विभाग, पिथौरागढ मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उप धारा (1)ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए चालक के लाइसेन्स सख्या पी0 4728/के0/05 को दिनाक 20 6 2009 से 19-7 2009 तक की अवधि के लिए वापस लेता हू तथा चालक को समस्त श्रेणियो के वाहन सचालन से निरीर्हित करता हूं।

अनुज्ञप्ति अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, पिथौरागढ।

कार्यालय, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार

कार्यालय आदेश

06 जुलाई, 2009 ई0

पत्रांक 106/का0आ0/लाई0नि0/08 थानाध्यक्ष, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्राक शून्य, दिनाक 16 6-2009 द्वारा चालक लाईसेन्स सख्या 1984/एच0डी0आर0/2006 के विरुद्ध निरस्त किये जाने की सस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध मे सम्बन्धित चालक को इस कार्यालय के पजीकृत पत्राक 788/सा0प्र0/लाई0नि0/09, दिनाक 27-6-2009 द्वारा मामले मे सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि सम्बन्धित चालक आज तक न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित चालक को कुछ नहीं कहना है।

अत. लाईसेसिंग अधिकारी के रूप मे, मैं, सुधाकर चन्दौला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, हरिद्वार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19ङ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए चालक लाईसेन्स सख्या 1984/एच0डी0आर0/06 को तत्काल प्रभाव से निरर्हित घोषित करता हू।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) हरिद्वार।

कार्यालय, उप संभागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

06 जुलाई, 2009 ई०

पत्रांक 82/प्रशासन/लाईसेंस/2008 09 श्री राजेश सिंह, पुत्र श्री केवल सिंह, नायकगोठ, टनकपुर द्वारा यात्री वाहन मे क्षमता से 11 सवारियां अधिक ले जाने तथा लापरवाही एवं असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के कारण सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा उनके लाईसेंस सख्या यू०ए०/टी०एन०के०/301/2006 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहनयान हेतु जारी किया गया है तथा दिनाक 7 11 2009 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की सस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध मे लाइसेसधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अत जनसुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मै, हरवशलाल तलवार, उप सभागीय परिवहन अधिकारी, चम्पावत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 22 के अतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस को दिनांक 5 7 2009 से 5 1 2010 तक की अवधि के लिये निलबित करता हूं।

हरवशलाल तलवार,
उपसभागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालयादेश

19 सितम्बर, 2009 ई०

पत्रांक 83/लाईसेंस/नि०/2008 09 श्री शकर सिंह, पुत्र श्री इंदर सिंह, सीमेंट रोड, टनकपुर, चम्पावत। आपके द्वारा दिनाक 05 06 2009 को वाहन सख्या यूपी 01–5892 का सचालन करते समय उपजिलाधिकारी, टनकपुर द्वारा आपके वाहन की चैकिंग के दौरान आपको शराब के नशे मे वाहन का सचालन करते हुए पाया गया जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक के पत्रांक सख्या वाचक अपराध/2009, दिनाक 09 06-2009 द्वारा की गयी है। इस सम्बन्ध मे आपको दिनाक 19 06 2009 को पत्र सख्या मेमो/नोटिस/चालक/लाइसेंस/2009, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया था। 30 दिन के अन्दर आपने अपना पक्ष कार्यालय मे प्रस्तुत नहीं किया।

अत जनसुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप मे, मै सदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी) टनकपुर (चम्पावत) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए चालक के लाईसेंस सख्या एस–168/टीएनके/2006 को दिनाक 17–08 2009 से 16–02 2010 तक की अवधि के लिये निलबित करता हूं।

संदीप वर्मा,
सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी),
टनकपुर (चम्पावत)।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 50 हिन्दी गजट/597 भाग 1 क 2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2009 ई0 (अग्रहायण 21, 1931 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल

ठेकेदारी उपनियम

22 सितम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 492/03–व0लि0(ठेकेदारी)/2009–10–नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) शीर्षक (ई) उपखण्ड "बी" के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ठेकेदारी उपनियम में 22 जनवरी, 2000 (संशोधित) में पुनः संशोधन करने के लिए नगर पालिका परिषद् की बैठक दिनांक 02–01–09 में प्रस्ताव सं0–21(स)(ii) के अनुपालन में समाचार पत्र में दि0 28–05–09 को प्रकाशित कराया गया, किन्तु निर्धारित अवधि पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः नगर पालिका परिषद् द्वारा अपने प्रस्ताव सं0–14, दिनांक 03–08–09 के द्वारा इन उपनियमों में वर्णित दरों को संशोधन कर लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह उपनियम की धारा 301(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपविधियां

(1) परिभाषायें–

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि, 2009 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(2) "परिषद" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढ़वाल से है।

(3) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 (यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0–2, 1916 यथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है–से है।

(4) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।

(5) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल से है।

(6) "पंजीकरण" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।

(7) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल में सड़क/नाली, निर्माण, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक है।

(8) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

(2) पंजीकरण की प्रक्रिया–

पालिका परिषद् की सड़क/नाली एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है :–

1–वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा या पौड़ी जनपद में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो देने अनिवार्य होंगे।

2–जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है):–

(अ)	प्रथम श्रेणी के लिये	–	रु0 40.00 लाख
(ब)	द्वितीय श्रेणी के लिये	–	रु0 20.00 लाख
(स)	तृतीय श्रेणी के लिये	–	रु0 10.00 लाख

3–प्रथम श्रेणी–प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में रु0 1.00 करोड़ के अनुबन्ध (बॉण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे।इसके अतिरिक्त स्वयं की तकनीकी अभियंता एवं टी0 एण्ड पी0 मिक्सचर मशीन एवं वाईबरेटर) आदि होने आवश्यक होंगे। (अनुभव प्रमाण पत्र–अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।)

4–द्वितीय श्रेणी–द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में रु0 30.00 लाख के अनुबन्ध (बॉण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी किया गया मान्य होगा।)

5–तृतीय श्रेणी–तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।

6–प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा तथा पंजीयन नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

(3) पंजीकरण की अवधि–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से माह सितम्बर तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना–पत्र के प्रारूप को रु0 50.00 पालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत–शुल्क जमा किया जायेगा।

(4) पंजीकरण शुल्क–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नगद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा :–

(अ)	प्रथम श्रेणी के लिये	–	रु0 20,000.00
(ब)	द्वितीय श्रेणी के लिये	–	रु0 10,000.00
(स)	तृतीय श्रेणी के लिये	–	रु0 5,000.00

(5) जमानतें–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत–पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना–पत्र के साथ देनी होगी :–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिये – रु0 40,000.00

(ब) द्वितीय श्रेणी के लिये – रु0 20,000.00

(स) तृतीय श्रेणी के लिये – रु0 10,000.00

(6) निर्माण के सम्पादन की सीमा–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा :–

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रु0 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रु0 5.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

(7) निविदा प्रपत्र की लागत–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) घनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :–

क्र0सं0	कार्य की लागत (रुपये में)	निविदा मूल्य (रुपये में)
1.	रु0 50,000.00 तक	50.00
2.	रु0 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	100.00
3.	रु0 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	200.00
4.	रु0 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	300.00
5.	रु0 4,00,000.00 से 20,00,000.00 तक	500.00
6.	रु0 20,00,000.00 से ऊपर के कार्यों पर	800.00

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिये पालिका से निविदा प्रपत्र मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

(8) निविदा स्वीकार करने का अधिकार–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं। निविदा डालने के 6 माह बाद तक ठेकेदार उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

(9) धरोहर राशि–

निविदायें क्रय करते समय 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को प्रतिभूति के रूप में जमा करनी आवश्यक है और यह प्रतिभूति अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यों में जमा प्रतिभूति के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन्हें अवमुक्त नहीं किया गया हो।

(10) ठेकेदार का भुगतान–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं 10 प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

(11) कार्य पूर्ण करने की अवधि–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो तो अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर रु0 100/–प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

(12) पंजीकरण निरस्तीकरण–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में ला सकता हैं। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

(13) जमानत जब्त करने का अधिकार–

यदि ठेकेदार पालिका उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर पालिका को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी पालिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामा में भी किया जायेगा।

अनिल नेगी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
श्रीनगर गढ़वाल।

मोहन लाल जैन,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
श्रीनगर गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/597–भाग 8–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।